भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **988**

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

**खाड़ी केरल क्षेत्र में विमान किराया**

988. **एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी-केरल क्षेत्र में विमान कम्पनियों द्वारा छुट्टियों के दौरान वसूले गए अत्यधिक विमान किराए के कारण भारतीय प्रवासियों को हुई समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस क्षेत्र में विमान किराए को विनियमित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) (श्री हरदीप सिंह पुरी )**

(क) और (ख): जी हां, विमान टिकटों के किरायों का निर्धारण एयरलाइनों द्वारा बाजार की गतिशीलता और दरसूची प्रबंधन प्रकिया के आधार पर किया जाता है। एयरलाइनें विभिन्न स्तरों पर किराए उपलब्ध कराती है, जो बाजार शक्तियों से प्रभावित होते हैं। मांग में वृद्धि के साथ विमान किरायों में भी वृद्धि होती है क्योंकि कम किराए वाली टिकटें पहले बिक जाती हैं। यह विमानन उद्योग में अनुसरण की जाने वाली एक वैश्विक पद्धति है। मार्च, 1994 में विमान निगम अधिनियम के निरसन के साथ, टैरिफों के निर्धारण को अविनियमित कर दिया गया है और एयरलाइनें वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत युक्तिसंगत टैरिफ के निर्धारण के लिए स्वतंत्र हैं। प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ और सामान्य रूप से प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विमान टैरिफ का निर्धारण करता है। एयरलाइनों को नियम -35 के उपनियम 02 के अंतर्गत इस संबंध में पारशर्दिता बनाई रखनी होती है और उनके द्वारा वसूला जाने वाला किराया उनके द्वारा निर्धारित और उनकी वेबसाइट में प्रदर्शित किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए, इस संबंध में सरकार की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

(ग) तथा (घ): खाड़ी-केरल सेक्टर पर विमान किराए के विनियमन के संबंध में समय-समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है एयरलाइनों को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ और सामान्य रूप से प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए विमान टैरिफ का निर्धारण करना चाहिए। चूंकि एयरलाइनों द्वारा किराया बकेट की प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए जो यात्री पहले टिकटों को बुक कराते हैं उन्हें कम किराए वाली टिकटें प्राप्त होती हैं और जो बाद में कराते हैं उन्हें उच्चतर किराए वाली टिकटें प्राप्त होती हैं। यात्री की आवाजाही को सुलभ बनाने के लिए, सरकार ने जेट एयरवेज के उड़ान अधिकार को अस्थायी रूप से अन्य एयरलाइनों को आवंटित किया था, यहां तक कि भारत-खाड़ी सेक्टर सहित अंतरराष्ट्रीय सेक्टर पर भी।

*****